मानदण्ड को पूरा करने वाले आदिवासियों और अन्य लोगों को पर्यावरण वाहिनियों में शामिल किया जाएगा।

विवरण-1

जिन राज्यों में पर्यावरण वाहिनियां गठित की जा रही हैं, उनकी सूचीः

1. आन्ध्र प्रदेश
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम
4. बिहार
5. गोआ
6. गुजरात
7. हरियाणा
8. जम्मू और कश्मीर
9. कर्नाटक
10. केरल
11. मध्य प्रदेश
12. महाराष्ट्र
13. मणिपुर
14. मेघालय
15. मिजोरम
16. नागालैंड
17. उड़ीसा
18. पंजाब
19. राजस्थान
20. सिक्किम
21. तमिलनाडु
22. त्रिपुरा
23. उत्तर प्रदेश
24. हिमाचल प्रदेश

विवरण-II

"पर्यावरण वाहिनियों" के गठन की क्रियाविधि

इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए चुने गये प्रत्येक जिले में एक "पर्यावरण वाहिनी" होगी। प्रत्येक वाहिनी की सदस्य संख्या 100 तक होगी। आरंभ में सदस्यों की संख्या 20 तक होगी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निदेश/अनुमोदन से बाद में इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। वाहिनियों की सदस्यता विद्यार्थियों, युवकों, व्यक्तियों और गैर-सरकारी संगठनों के लिए खुली रहेगी। प्रत्येक वाहिनी में गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों का अनुपात 25:75 का होगा। जिले का कम-से-कम एक हाईस्कूल, एक कालेज तथा मौजूद होने पर एक एन॰सी॰सी॰ यूनिट को भी 20 सदस्यों में शामिल किया जाएगा।

सदस्यों का चयन, तीन सदस्यों की समिति द्वारा किया जाएगा। जिसके अध्यक्ष समाहर्ता, वन संरक्षक/डिवीजनल वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी) तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य वन संरक्षक अथवा राज्य पर्यावरण विभाग का एक अधिकारी सम्मिलित होगा। चयन समिति की बैठक का आयोजन समाहर्ता द्वारा किया जाएगा जो चुने गये सदस्यों को भी अधिसूचित करेगा।

समाहर्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक सदस्य को भर्ती पत्र और पहचान पत्र जारी किये जाएंगे। प्रत्येक सदस्य को उसके भर्ती पत्र में यह स्पष्ट बता दिया जाएगा कि यह सरकार में कोई रोजगार नहीं है और सदस्यता बिल्कुल अस्थाई और अवैतनिक है।

वाहिनी की सदस्यता साधारणतः सदस्यता-पत्र जारी करने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए होगी। तथापि, अगर सदस्य अनिच्छुक हो अथवा अपनी भूमिका उपयुक्त रूप से निभाते हुए नहीं पाए जाते हैं तो चयन समिति द्वारा किसी सदस्य को पहले हटाया जा सकता है। चयन समिति के अंतिम निर्णय होने तक समाहर्ता सदस्यता को निलम्बित करने में सक्षम होगा।

नारायण सरोवर अभयारण्य, गुजरात

7647. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्लः** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मानदंडों का उल्लंघन करके गुजरात के कच्छ क्षेत्र में नारायण सरोवर अभयारण्य संबंधी अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है;

(ख) क्या उक्त अधिसूचना को रद्द करने से पूर्व वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत बाध्यकारी विधायी स्वीकृति और वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त की गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उक्त अभयारण्य संबंधी अधिसूचना को रद्द कराने में खान ठेकेदारों ने कोई साजिश की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) गुजरात सरकार ने अपनी दिनांक 27 जुलाई, 1993 की राजपत्र अधिसूचना सं॰ जी॰बी॰एन॰—16(93) डब्ल्यू॰एल॰पी॰/1092-2156/बी-2 के द्वारा अपनी कृषि, वन और सहयोग विभाग की दिनांक 14 अप्रैल, 1981 की अधिसूचना संख्या एन्के॰एच॰/62/81 डब्ल्यू॰एल पी॰/1080/110872/पी 2 को रद्द कर दिया है जिसके द्वारा नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्य के 765.79 वर्ग कि॰मी॰ क्षेत्र को डिनोटिफाई कर दिनांक 27 जुलाई, 1993 की अपनी अधिसूचना संख्या जी॰बी॰एन॰-17(93) डब्लयू॰एल॰पी॰ 1092-2156 बी-2 के द्वारा 94.87 वर्ग कि॰मि॰ आरक्षित वन क्षेत्र को चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है।

(ख) गुजरात सरकार ने इस अभयारण्य को डिनोटिफाई करने से पूर्व राज्य विधान मंडल का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है जैसा कि वन (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में उपबंधित है। यदि उसकी कानूनी स्थिति अपरिवर्तित रहती है तो किसी वन्यजीव अभयारण्य को डिनोटिफाई करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने यह मामला गुजरात सरकार के साथ उठाया है। इसी बीच यह मामला गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया है और न्यायाधीन है।

देश में पर्यावरण संबंधी सुधार और वन विकास हेतु विदेशी सहायता

7648. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विदेशी सहायता से शुरु की गई पर्यावरण संबंधी सुधार और वन-विकास संबंधी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक देश द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) किन-किन अन्य देशों ने इस प्रयोजनार्थ सहायता उपलब्ध कराने हेतु अपनी रुचि दिखाई है और प्रस्तावित सहायता राशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) पर्यावरण सुधार और वन विकास, इस संबंध में हुई प्रगति तथा विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रतिबद्ध वित्तीय सहायता से संबंधित चालू परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे में दिए गए हैं। [देखिए परिशिष्ट 170, अनुपत्र संख्या 146]

(घ) पर्यावरण और वानिकी क्षेत्रों में यह सहायता विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त की जाती है। युनाइटेड किंगडम, नार्वे, कनाडा, स्वीडन, जर्मनी, जापान, संयुक्त राज्य अमरीका, नीदरलैण्ड्स उन देशों में हैं जिनकी सहायता से परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं तथा नई परियोजनाओं के संबंध में बातचीत चल रही हैं। इसी प्रकार, विश्व बैंक तथा विश्व पर्यावरण सुविधा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की कैपेसिटी 21 और मांट्रियल प्रोटोकोल की बहुपक्षीय निधि जैसी अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं ने पर्यावरण और वानिकी के क्षेत्रों में ऋण और अनुदान दोनों के द्वारा परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है।

मध्य प्रदेश में जंगली हाथियों द्वारा लोगों की हत्या किया जाना

7649. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के रायगढ़ और सरगुजा क्षेत्रों में जंगली हाथियों द्वारा मचाए गये उत्पात के कारण कुछ व्यक्ति, हताहत हो गये थे और इस उत्पात में कुछ व्यक्ति मारे भी गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई उपाय किये हैं और इन हादसों में कितने परिवारों को क्षति पहुंची है;

(घ) क्या सरकार ने मारे गये और हताहत व्यक्तियों के परिवारों को कोई पर्याप्त मुआवजा राशि दी है अथवा देने का विचार रखती है;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;